प्रथम सूचना रिपोर्ट
दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत

1. जिला पंचकूला थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला वर्ष 2014 प्र0सु0रि0स0 12
दिनांक 30.12.14

2. धारा 7, पी.सी. एक्ट 1988

3. (क) अपराध की घटना : 2014
(ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 30.12.2014 समय 2:00 पी0एम0.
(ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : 8

4. सूचना का प्रकार : लिखित

5. घटनास्थलः (क) पूर्व दिशा 4 कि0मी0 सै0–2, पंचकूला ।

6. शिकायतकर्ता / सूचनादाता
नाम संजीव कुमार
पिता का नाम श्री श्याम लाल
राष्ट्रीयता भारतीय
व्यवसाय
पता वासी गांव गढ़ी कोटाहा जिला पंचकूला ।

7. ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण
1. पदम सिंह सहायक, जिला फर्म एंवम सोसायटी जिला रजिस्टरार पंचकूला।

लिंग पुरूष
भाषा हिन्दी

8. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण कोई नहीं।

प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण :– सेवा में, Inspector Vigilance PKL श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं संजीव कुमार पुत्र श्री श्याम लाल जाति हरिजन गांव गढी कोटाहा थाना रायपुर रानी जिला पंचकूला का रहने वाला हुं। मैंने B.Tech तक पढाई कर रखी है। मैनें गुरु रविदास धर्मस्थान के नाम से अपने गांव में सभा Reg. करवानें के लिये जिला Registrar Firm & Society के कार्यालय में apply करने के लिये Committee द्वारा 27.07.14 प्रस्ताव न0 1 Pass करके मुझे व दुशाल को अधिकार देकर हमें इस समिति के दस्तावेज तैयार करके समिति को Reg. करने के लिये अधिकृत किया गया था। जिस पर मैनें कागजात तैयार करके जिला Registrar Firm & Society के कार्यालय में करीब 3–4 महीनें पहले apply किया था, जिस पर Firm द्वारा कार्यालय पत्र 1523, 05.09.14 के द्वारा श्री गुरु रविदास धर्मस्थान की नाम मन्जूरी दे दी थी। फिर मैनें जिला Registrar Firm & Society के कार्यालय इस समिति को Reg. कराने Form भरकर व फीस को बैंक में भरकर Challan, apply firm के साथ Firm & Society में apply कर दिया था। Firm के द्वारा पत्र क्र0 1738, 13.10.14 के द्वारा हमारें आवेदन पर कुछ Objection लगा कर मेरा Address पर भेज दिया था। जो Objection पुर्ति करके मैनें दोबारा से आवेदन कर दिया था। मैं कई बार उक्त Society में जाकर इस तरह के Case को Deal कर रहे श्री पदम सिंह जो अपने आपकों Second Incharge बता रहा, को मिला, अपनी Society को Reg. करने की बात की, जिसने मुझे कहा कि आपके गांव श्री अनूप कुमार

पुत्र राम प्रकाश भी डा0 भीम राव अम्बेडकर के नाम से Society Reg. करवा रहे है। जिसके Case को मैं Deal कर रहा हुं। अगर तुम दोनों मुझे 2500 + 2500 बतौर रिश्वत दोगे तो मैं अपने सिनीयर अफसर को इस राशि में से हिस्सा दे कर आपका काम करवा दुंगा। जो मैं कल पदम सिंह को जाकर मिला, जिसने आज 5,000 रुपयें लेकर बुलाया है। जिसको रिश्वत राशि देना नही चाहता, मगर वह बिना रिश्वत लियें हमारी समिति को Reg. होने न देगा। जो मैं 5,000 रुपयें लेकर आपके पास आया हुं। कृप्या कानूनी कार्यवाही की जायें। Sd. Sanjeev Kumar, Sanjeev Kumar S/o Shyam Lal VPO- Garhi Kotaha (pkl) 9671948601 कार्यवाही पुलिस :– आज मन निरीक्षक मय ए0एस0आई0 प्रदीप कुमार 660/पंचकूला, ऋषि पाल न0 274/ग्ग्रमीण अम्बाला, ए0एस0आई0 जगतार सिंह न0 1278/अम्बाला, सि0 रविन्द्र कुमार न0 289/अम्बाला, सि0 सतबीर सिंह न0 601/अम्बाला के मय तफतीशी बैग, बा सवारी गाडी सरकारी न0 HR-03L-6883 चालक एस0आई0 रणजीत सिह न0 70/अम्बाला के बराये कार सरकार डियुटी सैक्टर–6, पंचकूला में कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरों, मुख्यालय के भवन के बारह मौजूद हुं कि श्री संजीव कुमार उक्त ने मिलकर एक लिखित दरखास्त बाबत मांगने रिश्वत राशि विरुद्ध श्री पदम सिंह सहायक कार्यालय जिला रजिस्ट्रार फर्म व सोसाईटी पंचकूला के दी वा इस दरखास्त के साथ 5000 रुपयें राशि के करंसी नम्बरी नोट पेश किये। जिनकी सूचि नोट अलग से तैयार की। जो मन निरीक्षक ने उक्त मुलाजमान की रेडिंग पार्टी तैयार की। जो मजबून दरखास्त से सरेदस्त जुर्म 7 पी0सी0 एक्ट 1988 का सरजद होना पाये जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बादस्त ए0एस0आई0 प्रदीप कुमार न0 660/पंचकूला के हाथ थाना राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला में भेजकर अनुरोध है कि मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके, प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति सेवा में ईलाका मैजिस्ट्रेट बतौर स्पैशल रिपोर्ट वा अन्य प्रतियां सेवा में अफसरान बाला भिजवाई जावें तथा नकल मिसल वा असल तहरीर आरिन्दा के हाथ मौका पर भिजवाई जावें। जो मन निरीक्षक मय हमराहीयान मुलाजमान के मय मुदई संजीव कुमार के अपनी सरकारी गाडी पर तफतीशी बैग साथ लेकर रवाना कार्यालय उपायुक्त महोदय पंचकूला का होता हुं। उपायुक्त महोदय से अनुमति रेड ली जाकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। **हस्ता:–** सुरेश कुमार निरीक्षक थाना रा0चौ0ब्यूरो, पंचकूला दि0 30.12.14 **अज थाना:–** उपरोक्त लेख पर अभियोग अकिंत करके स्पैशल रिपोर्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट सी.जे.एम साहब पंचकूला व नकुलात प्रथम समचना रिपोर्ट उच्च अधिकारियों की सेवा मे आईन्दा ए.एस.आई प्रदीप कुमार न0 660/पंचकूला वा नकल मिसल पुलिस वा प्रथम सूचना रिपोर्ट बर मौका ए.एस.आई भिजवाई जा रही है ।

बादस्त ए.एस.आई प्रदीप कुमार न0/660 पंचकूला

(स0उ0नि0 बलविन्द्र सिंह न0 709/अम्बाला)
हस्ता/–
थाना रा0 चौ0 ब्यूरो, पंचकूला